अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक डीसी/ई–1/डीसीओ रिक्यू/2013/ दिनांक 02.05.2013

समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी
राजस्थान ।

विषयः– नवनियुक्त औषधि नियंत्रण अधिकारियों को औषधि नियंत्रण संगठन से सम्बंधित कार्य यथा निरीक्षण, सेम्पलिंग व कोर्टकेस इत्यादि से सम्बंधित कार्य का अनुभव करानें के सम्बंध में।

सन्दर्भः– राज्य सरकार का आदेश क्रमांक प09(24)चिस्वा/2/2011 दिनांक 26.04.2013।

राज्य सरकार के सन्दर्भित आदेश से राज्य के सभी जिलों में 58 औषधि नियंत्रण अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन किया गया है। अधिकारियों नें कार्यग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया है। इनके नियमानुसार गजट नोटिफिकेशन में कुछ समय लगनें की सम्भवना है, परन्तु कार्यग्रहण करनें के बाद विभागीय कार्य यथा निरीक्षण, सेम्पलिंग व कोर्टकेस इत्यादि के बारे में इन्हे प्रशिक्षण, जानकारी दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः फील्ड एक्सपोजर के लिए आप जब भी कहीं आपके अधिकार क्षेत्र में निरीक्षण, सेम्पलिंग हेतु या कोर्ट जावें तो इन अधिकारियों को भी अवश्य अपने साथ लेकर जावे जिससे इन्हे आपके अनुभ्व का लाभ व प्रशिक्षण प्राप्त हो सकें। विभागीय नियम व अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी भी इन्हे उपलब्ध करावें, ताकि नोटिफिकेशन जारी होनें के बाद ये अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य सम्पादन कर सके।

औषधि नियंत्रक
राज0,जयपुर

No-184
2/5/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज0,जयपुर ।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों को भेजकर लेख है कि जिन औषधि नियंत्रण अधिकारियों नें कार्यभार ग्रहण कर लिया है, उन्हे बैठनें एवं कार्यसम्पादन हेतु फर्नीचर की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करानें का कष्ट करें तथा कार्यग्रहण करनें वाले अधिकारियों की सूचना **अविलम्ब ई–मेल** **drugcontrolraj@gmail.com** पर तथा पत्र द्वारा भिजवानें का कष्ट करें।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करनें का कष्ट करें।

02/5/2013
औषधि नियंत्रक
राज0,जयपुर